रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20082025-265534
CG-DL-W-20082025-265534

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 3—अगस्त 9, 2025, शनिवार/ श्रावण 12—श्रावण 18, 1947
No. 27] NEW DELHI, AUGUST 3— AUGUST 9, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 12— SHRAVANA 18, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 120.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक(आयुध), ज्येष्ठ क्षेत्र अधिकारी(आयुध) तथा क्षेत्र अधिकारी (आयुध) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' और समूह 'ख' पद (गैर-लड़ाकू) आयुध काडर भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(ii) with two years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400); or
(iii) with six years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) ;

(b) qualified in Small Arms or Armament Engineering course; and

(c) two years experience in repair and maintenance of Small Arms downgraded in Repair-1, Repair-2 and Repair-4 categories, Inspection of Ammunition and Explosive stores and Disposal of un-serviceable Ammunition and Explosive Stores.

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.17/17/SSB/CSC/Area/Gp.‘A’&‘B’/2017/SFS]

JUHI VERMA, Director (Pers & Coord)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2018, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2018, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम (ग्रुप-सी), 2020, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, मल्टी टास्किंग स्टाफ, (ग्रुप 'सी' पद) भर्ती नियम, 2021, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, में बहु- कार्य कर्मचारी पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, दिल्ली (बहु-कार्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

   (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार

को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य-कर्मचारी	574 *(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल -308 डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - 71 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - 98 कलावती सरन बाल अस्पताल - 84 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र - 13	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर- 1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	अठारह वर्ष से सताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) **टिप्पण :** कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु – सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण: परिवीक्षा को	सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** यदि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में चयन प्रक्रिया से किसी भी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यक अनुभव से युक्त उस जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने कि संभावना नहीं हैं, तो अनुभव संबंधी अर्हताएं में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए लिखित रूप में कारण अभिलेखित कर शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।		सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें में निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11018/33/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 121.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2018, the Safdarjung Hospital, New Delhi, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2018, the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2019, the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children Hospital, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules (Group-C), 2020, the Rural Health Training Centre, New Delhi, Multi Tasking Staff, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in Central Government Hospital in Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Government Hospitals in Delhi (Multi Tasking Staff), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Multi-Tasking Staff	574 (2025) *Subject to variation dependent on workload. Safdarjung Hospital -308 Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - 71 Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital - 98 Kalawati Saran Children Hospital - 84 Rural Health Training Centre - 13	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for	10^{th} class pass or equivalent from recognised Board/institute. **Note1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be

determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Chairperson; 2. Deputy Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Concerned), in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/33/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट, समूह क, भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह ‘क’ पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।